

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/SIQE/2018-19/ 13329

E-mail: cce.rmsa@gmail.com

दिनांक : 25/3/2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

प्राचार्य,
डाइट,
समस्त जिले।

विषय :- एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए SA Feeding एवं परीक्षा व रिपोर्ट कार्ड के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का राज्य स्तर से "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" लेने का प्रावधान है। अतः उक्त विद्यार्थियों का योगात्मक आंकलन तृतीय (SA-3) नहीं लिया जाना है, साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा-5 के विद्यार्थियों की केवल SA-2 तक ही फीडिंग की जानी है। शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित एसआईक्यूई टैब पर "एसआईक्यूई (SAs) प्रविष्टि एवं रिपोर्ट कार्ड" माड्यूल के माध्यम से कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड प्रिन्ट करवाकर विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है, तथा कक्षा-5 का रिपोर्ट कार्ड प्रिन्ट नहीं किया जायेगा।

कक्षा-5 के विद्यार्थियों का "प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन" के पश्चात जिलों की डाइट द्वारा ग्रेड कार्ड व प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा।

www.rajteachers.com


(भावना शर्मा)
उपायुक्त - द्वितीय

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बोकानेर को भेजकर निवेदन है कि पत्र के आधार पर निदेशालय से समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं पीईआरटी को निर्देशित करावें।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक समसा, जयपुर।
6. निदेशक, एससीईआरटी. उदयपुर।
7. उपायुक्त, शाला दर्पण, समसा जयपुर।
8. निदेशक, एनआईसी, समसा जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिला।
10. समस्त सम्बन्धित संस्थाप्रधान/पीईआरटी।
11. कार्यालय प्रति।


उपायुक्त - द्वितीय